न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री रामलाल पिता श्री गणेश लाल जी सुथार निवासी किशनपुरा केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री गोवर्धन पिता श्री खेमा जी सुथार निवासी किशनपुरा केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी राजसमन्द दिनांक 24–05–2016
प्रकरण संख्या 184/2015 रेवेन्यू वाद

————/————

1– श्री अशोक टांक अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री प्रकाश पालीवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1
3– राजकीय अधिवक्ता

————/————

निर्णय **दिनांक 22–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के साथ घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम किशनपुरा में आराजी नंबर 244 व 215 कूल किता–2 क्षैत्रफल 17 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है। इस भूमि में से 1 बीघा 5 बिस्वा व 4 बीघा भूमि पर वादीगण का अपने पूर्वाधिकारियों के समय से 100 वर्षो से कब्जा है। अतएव वे प्रतिकूल कब्जे से खातेदार हो गये है। अतएव उन्हें खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी को नोटिस जारी होने के बाद राजस्व लोक अदालत में अपने निर्णय दिनांक 24–5–2016 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
24–5–2016	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत धायला पेश हुई। वादीगण उपस्थित प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार उपस्थित वादीगण ग्राम किशनपुरा की आ.सं. 244, 215 कूल किता–2 कूल रकबा 17.01 बीघा बिलानाम भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहता है। वादीगण को कमेटी / बैंच के द्वारा आपसी समझाईश दी गई। आपसी समझाईश अनुसार वादीगण उक्त आराजी अपने नाम आवंटन कराने हेतु आवंटन कमेटी के समक्ष रखने हेतु सहमत है। अतः वादी को निर्देशित किया कि आंवटन कमेटी से समक्ष भूमि आवंटन करने हेतु प्रस्ताव रखे। पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी होवे। ह0 / – सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 24–5–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट वादी संख्या–1 द्वारा प्रतिवादी एवं अपीलान्ट संख्या–2 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–12–2016 को पेश की। अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उसे निर्णय की जानकारी अपने अधिवक्ता से 13–9–2016 को होने से यह अपील अन्दर जानकारी विलम्ब से पेश की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया।

अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी ने लोक अदालत में सहमति से दिनांक 24–5–2016 को अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है। लोक अदालत में मोतबिरान की हस्ताक्षर शुदा राजीनामें की उसे जानकारी नहीं होने का कोई आधार नहीं है तथा विलम्ब कण्डोन किये जाने के लिए कोई आधार नहीं होने से अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से ही खारिज किये जाने योग्य है।

अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की और से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 अधिनस्थ न्यायालय के वादी संख्या–2

की और से अधिवक्त श्री प्रकाश पालीवाल ने उपस्थित होकर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्त ने गुणावगुण पर भी बहस की। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व राजकीय अधिक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों एवं गवाहों के बयानों पर गौर नहीं किया तथा मनमकसूद तरीके से राजीनामा आधार पर वाद खारिज कर दिया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में वाद लोक अदालत में राजीनामें के आधार पर निस्तारित हुआ है। जिसकी अपील लाई नहीं होती, वहीं राजकीय भूमि पर पुरने कब्जे के आधार पर आवंटन अथवा नियमन हो सकता है एवं तद्नुसार ही अधिनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत ने उक्त प्रकरण को निस्तारित किया है। अपीलान्ट वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सरकारी भूमि पर खातेदारी घोषणा चाही है। जिसका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है तथा माननीय राजस्व मण्डल तथा माननीय उच्च न्यायालय में भी तद्नुसार ही न्यायिक निर्णय पारित किये है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट का वाद तद्नुसार भी तथ्यात्म्क अथवा विधिक रूप से पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–5–2016 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....

उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री रामलाल पिता श्री गणेश लाल जी सुथार निवासी किशनपुरा केलवा तहसील व जिला राजसमन्द

बनाम

1– श्री गोवर्धन पिता श्री खेमा जी सुथार नि0 किशनपुरा केलवा तहसील व जिला राजसमन्द व सरकार

अपील नं0 **08/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **राजसमन्द** ..... मुकाम मुर्क्खे.....**24**.....माह.....**05**..... **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**15**..... माह .....**11**..... सन् **2017** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री अशोक टांक** **.....**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री प्रकाश पालीवाल व राजकीय अधिवक्ता** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–5–2016 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**22**..... माह ...**11**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।